न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 71/2022

अनवान : –

1. उदाराम पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुलतान पुत्र लेखराम जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रूघवीर पुत्र मनफूल जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– सायलान

बनाम्

1. मेमनराम पुत्र बिंझाराम जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सदुराम पुत्र बिंझाराम जाति मेघवाल निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 257/229 के ख0न0 420 की कुल 9.330 हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के पिता बिंझाराम के नाम दर्ज थी तया बिंझाराम ने 20 वर्ष पहले अपने जीवन काल में ही लाली देवी, मोमनराम व सदुराम को उनक हक हिस्सा की भूमि दे दी थी। कृष्ण पुत्र लेखराम फोत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 है तथा मनफूल पुत्र लेखराम फोत हो चुका है जिसके वारिस सायल संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 है जिनको दावा में पक्षकार बनाया गया है। उपरोक्त भूमि सायलान व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है चुकि भूमि का खाता व लगान संयुक्त होने के कारण विवाद बना रहता है इसलिए सायलान मुताबिक हक हिस्सा खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 257/229 के खसरा नम्बर 420 की कुल 9.3330 है० भूमि में गैरसायल संख्या 1, 2 प्रत्येक का [illegible] हिस्सा, सायल संख्या 1. 2. व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक का 1/24 [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का संयुक्त रूप से 1/24 हिस्सा. प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 [illegible] संयुक्त रूप से 1/[illegible] हिस्सा व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava .
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 5 व 6 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा सायलान व प्रतिवादीगण मुताबिक हक हिस्सा खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका तौर से दर्ज है। गैरसायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 के कब्जा काश्त में है सायलान ने अपने हक हिस्सा की भूमि गैरसायल संख्या 1 व 2 को काश्त करने के लिए दे रखी थी लेकिन सायलान अब अपने हक हिस्सा की भूमि को खुद काश्त करना चाहते है लेकिन गैरसायल संख्या 1 व 2 सायलान को भूमि काश्त नहीं करने दे रहे है गैरसायल संख्या 1 व 2 काफी तेज तर्रार व्यक्ति है वे भूमि मुश्तरका होने का नाजायज फायदा उठाते हुए सायलान को उनके हक हिस्सा से वंचित करना चाहते है समस्त भूमि को भूमि माफिया किस्म के लोगो को बैय करने की धमकी दे रहे है यदि गैरसायल संख्या 1 व 2 अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायलान का अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है इसलिए सालयान गैरसायल संख्या । ता 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करा पाने के अधिकारी है ये बिना खाता विभाजन करवाये वादग्रस्त को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक चक 13 एनटीआर के खाता स0 100/93 की कुल 2.2770 हैक्ट व खाता स0 101/94 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि [illegible] भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान [illegible] 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह दे[illegible]या मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प[illegible]वली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा ढंढेला बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 257/229 के ख0न0 420 की कुल 9.330 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....25/11/25.....मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:32 IST
Reason: SelfAttested